

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय = उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

कजोडमल वगैरे बनाम जवाहराराम वगैरेह

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 24 / 2021

नम्बर व ता. उ अहकाम
इस हुकम व तालीम में
जारी हुये

29-12-21

वकील डिक्रीदार श्री फूलचन्द सामोता एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.21 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

14.11.2022

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में राज पैरोकार नायब तहसीलदार ने अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 459 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय संख्या
459 डिक्री
31-3-2022
के द्वारा
राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद
किया गया

